न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/232

1. अमर सिंह आयु 45 वर्ष आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
2. रामसिंह आयु 32 वर्ष आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
3. केसर बाई आयु 42 वर्ष पुत्री आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
4. तूफान बाई उर्फ कुकाल बाई आयु 37 वर्ष पुत्री आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
5. मथुरी बाई आयु 72 वर्ष बेवा आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा निवासीगण ग्राम ताल्याबरडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण क्रम 1 से 4 के पिता एवं वादीगण क्रम 5 के पति स्व0 नारायण वल्द मेघा जाति बंजारा निवासी ताल्याबरडी तहसील रामगंजमण्डी ने अपने जीवनकाल में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1976 को आराजी खसरा नम्बर 05 की 10 बीघा और खसरा नम्बर 54 की 05 बीघा कुल 15 बीघा भूमि जो ग्राम छत्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी में स्थित है को उक्त भूमि के खातेदार श्री ग्यारसीलाल वल्द मन्ना जी जाति तेली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1976 से क्रय की और कब्जा प्राप्त किया तब से ही स्व0 नारायण जीवन पर्यन्त स्वयं एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण मृतक के वारिस होने से बहैसियत खातेदार आराजी पर निरन्तर आज तक काबिज काश्त हैं परन्तु उसमें खसरा नम्बर 54 की 05 बीघा आराजी वादीगण के खाते में दर्ज नहीं की है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 05 बीघा ग्राम छत्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी के लिए वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण के पक्ष में विरूद्ध

प्रतिवादी गण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 05 बीघा पर वादी को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने दे तथा वादीगण को न तो स्वयं प्रतिवादी और न ही उसका कोई प्रतिनिधि बेदखल करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट क्रम 1 लगायत 4 के पिता एवं अपीलान्ट क्रम 5 के पति स्व0 नारायण वल्द मेघा ने अपने जीवनकाल में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1976 को खसरा नम्बर 05 की 10 बीघा और खसरा न7म्बर 54 की 05 बीघा कुल 15 बीघा भूमि मूल आवंटी खातेदार श्री ग्यारसी लाल वल्द मन्ना जी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1976 से क्रय की और कब्जा प्राप्त किया तब से ही स्व0 नारायण जीवन पर्यन्त स्वयं उवं उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट मृतक के वारिस होने से बहैसियत खातेदार उक्त आराजी पर निरन्तर आज तक काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजी साक्ष्य की सही विवेचना न कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण क्रम 1 लगायत 4 के पिता और 5 के पति नारायण आत्मज मन्ना ने अपने जीवनकाल में जरिये रजिस्टर्ड विकय्र पत्र दिनांक 20.05.1976 को आराजी खसरा नम्बर 05 की 10 बीघा और खसरा नम्बर 54 की 05 बीघा कुल 15 बीघा भूमि को पूर्व खातेदार श्री ग्यारसीलाल वल्द मन्ना जी जाति तेली से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से ही स्व0 नारायण जीवन पर्यन्त स्वयं एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण मृतक के वारिस होने से बहैसियत खातेदार आराजी पर निरन्तर आज तक काबिज काश्त हैं । मूल आवंटी ग्यारसीलाल को उक्त भूमि भूमिहीन होने के दिनाक 15.04.1969 को आवंटित हुई थी और दखल दिया था । राजस्व कर्मचारियों की गलती से आवंटी ग्यारसीलाल के गैर खातेदारी एवं खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 54 की आराजी दर्ज नहीं की गई इस कारण यह आराजी वादीगण के पिता व पति के खाते भी दर्ज नहीं हो सकी । वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । मौके पर कब्जा वादी अपीलान्टगण का है । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से भली–भांति सिद्ध कर दिया था फिर भी वादीगण का दावा खारिज किया है जबकि आवंटी को गैर खातेदारी एवं खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में डीएनजे 2016 पेज 115 उद्वरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी आवंटी के खातेदारी में दर्ज नहीं है । गैर खातेदार को आराजी को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसमें नारायण पुत्र मेघा आराजी खसरा नम्बर 05 की रकबा 10 बीघा भूमि के खातेदार दर्ज हैं और इसमें नामान्तरकरण संख्या 380 का नोट अंकित है जिसके अनुसार नारायण की मृत्यु हो जाने से वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते में दर्ज हुई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035 प्रदर्श– 2 के अनुसार ग्यारसी लाल वल्द मन्ना के खाते में 10 बीघा आराजी दर्ज है उसमें नोट अंकित है कि इंतकाल संख्या 154 से इन्हें खातेदारी मिली है । प्रदर्श– 3 विक्रय पत्र की फोटो प्रति है जिसके अनुसार ग्यारसीलाल ने खसरा नम्बर 05 की 10 बीघा एंव खसरा नम्बर 54 की 05 बीघा भूमि कुल 15 बीघा भूमि का विक्रय नारायण को किया है । प्रदर्श– 4 दखलनामे की प्रमाणित प्रति है । प्रदर्श– 5 आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति है । प्रदर्श– 6 नोटिस की प्रति, प्रदर्श– 7 डाक विभाग की रसीद, प्रदर्श–8 पोस्ट मास्टर को लिखे गये पत्र की प्रति है। प्रदर्श– 9 पोस्ट विभाग के द्वारा लिखा गया पत्र है । इसके अलावा बयान गवाह अमर सिंह आत्मज स्व0 नारायण पी.डब्ल्यू. – 1, बिहारी पी. डब्ल्यू. – 2 एवं गोरधन पी.डब्ल्यू. – 3 एवं अमर सिंह आत्मज हीरा सिंह पी.डब्ल्यू. – 4 कराएं हैं ।

10. पत्रावली पर नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 खाता संख्या 01 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है । नकल जमाबन्दी के अनुसार हाल खसरा नम्बर 131 की 12.08 हैक्टर आराजी सरकार के खाते में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2025 से 2027 की प्रति पेश की गई है ।

11. वादीगण के द्वारा यह कथन करते हुए हक व घोषणा का दावा पेश किया गया है कि उनके पिता के द्वारा ग्यरसीलाल से खसरा नम्बर 05 की 10 बीघा भूमि एवं खसरा नम्बर 54 की 05 बीघा भूमि कुल 15 बीघा भूमि क्रय की गई है और उनके खाते में मात्र खसरा नम्बर 05 की 10 भूमि दर्ज की गई है । इस क्रम में पत्रावली में जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 एवं 2 संलग्न है उसके अनुसार ग्यारसीलाल और बाद में वादीगण के पिता के नाम खसरा नम्बर 05 की 10 बीघा आराजी दर्ज है । यद्यपि आवंटन आदेश प्रदर्श– 5 के अनुसार आवंटी को खसरा नम्बर 05 की 10 बीघा भूमि एवं खसरा नम्बर 54 की 05 बीघा भूमि कुल 15 बीघा भूमि आवंटित की गई थी परन्तु उनके खाते में आराजी खसरा नम्बर 54 की 05 बीघा आराजी दर्ज नहीं की गई है । आवंटी ग्यारसीलाल के खाते में 05 बीघा भूमि दर्ज नहीं थी ऐसी स्थिति में उन्हें इस आराजी को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 53 की भी फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार ग्यारसीलाल को मात्र खसरा नम्बर 05 की 10 बीघा आराजी पर ही गैर खातेदारी दर्ज की गई है । खसरा नम्बर 54 की आराजी पर उनको गैर खातेदारी नहीं दी गई है । पत्रावली में मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 54 मिन रकबा 74 बीघा 12 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 131 रकबा 12.08 हैक्टर बना और अब नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 हाल खसरा नम्बर 131 रकबा 12.08 हैक्टर सरकार के खाते में दर्ज है और उसकी किस्म गै0मु0 पठार दर्ज है । इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर 54 रकबा 05 बीघा पर गैर खातेदारी मूल आवंटी ग्यारसी लाल को नहीं दी गई और न ही इस आराजी का उन्हें खातेदार दर्ज किया गया है ऐसी स्थिति में ग्यारसीलाल के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 54 की 05 बीघा आराजी के लिए जो विक्रय पत्र लिखा गया है वह अवैध है इससे वादीगण के पिता

को इस आराजी में कोई अधिकार प्राप्त हो सकते । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि साबिक खसरा नम्बरा 54 का हाल खसरा नम्बर 131 है जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी सिवाय चक किस्म गै0मु0 पठार है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते ।

12. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । उक्त निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 03.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/232

1. अमर सिंह आयु 45 वर्ष आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
2. रामसिंह आयु 32 वर्ष आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
3. केसर बाई आयु 42 वर्ष पुत्री आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
4. तूफान बाई उर्फ कुकाल बाई आयु 37 वर्ष पुत्री आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
5. मथुरी बाई आयु 72 वर्ष बेवा आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा निवासीगण ग्राम ताल्याबरडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 54/दावा/2011

1. अमर सिंह आयु 45 वर्ष आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
2. रामसिंह आयु 32 वर्ष आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
3. केसर बाई आयु 42 वर्ष पुत्री आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
4. तूफान बाई उर्फ कुकाल बाई आयु 37 वर्ष पुत्री आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा ।
5. मथुरी बाई आयु 72 वर्ष बेवा आत्मज स्व0 नारायण जाति बंजारा निवासीगण ग्राम ताल्याबरडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 03.09.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री संजय पाटौदी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री रामबाबू मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 03.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

3/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा